न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2016 रिव्यू रिवु- 9056-PBR-16

रिवु- 13 ~~.......~~ /2016 प्रेमा बाई पत्नी श्री जगदीशप्रसाद जाट, मुख्तयारआम हरिओम आत्मज श्री जगदीशप्रसाद निवासी– ग्राम नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा,

.............आवेदक / [redacted]

श्री पी.के. तिवारी एड. द्वारा आज दि. 25-4-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-4-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. हीराबाई उर्फ हीरामयी राम पत्नी जयनारायण राय निवासी–नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा
2. म.प्र. शासन

25-4-2016

.............अनावेदकगण / [redacted]

पुर्नावलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 03.03.2016 द्वारा पारित अध्यक्ष श्रीमान राजस्व मंडल प्रकरण कमांक 229 पी.वी.आर/2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 9056–पीबीआर/16 [पेमानी/हीरालाई] जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2016	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 229–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 3–3–16 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	